# FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट )**

**(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)**

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0091 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/05/2024 20:23 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/05/2024

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/05/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/05/2024 20:23:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MAHILA THANA TONK

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHUARAB VIJAY

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** PADAM KUMAR VIJAY

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | 4G2, MAHAVEER NAGAR VISTAR YOJANA, MAHAVEER NAGAR, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 4G2, MAHAVEER NAGAR VISTAR YOJANA, MAHAVEER NAGAR, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8302040148

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANKER LAL | | पिता:RADHAKISHAN | 1. VILAGE PRANA, BARONI,TONK,RAJASTHAN,IN |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 15,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय हालात इस प्रकार है दिनांक-15.05.2024 समय 05.30 पी.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी (इन्टे.) कोटा विजय स्वर्णकार को परिवादी श्री सौरभ विजय पुत्र श्री पदम कुमार विजय जाति महाजन उम्र 27 निवासी 4 जी 2 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा मोबाईल नम्बर 8302040148 मय उनके पिता श्री पदम कुमार विजय के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का is'k किया कि निवेदन है कि मैं 4 जी 2 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का रहने वाला हू मेरी पत्नी अंतिमा विजय टोंक की रहने वाली है। मेरी पत्नी अंतिमा ने महिला थाना टोंक मे मेरे व मेरे परिवार वालों के खिलाफ परिवाद पेष कर रखा है। जिसमें मेरे परिवार व मुझे दिनांक 14.05.2024 को बुलाया गया था। मुझसे वहां जांच परिवाद में शंकर लाल एएसआई मिले थे। जिन्होंने मुझ से मेरी पत्नी का परिवाद निस्तारण करने की एवज में 20 हजार रूपये रिष्वत की मांग की थी। मेरे पास 20 हजार रूपये नहीं होने से मुझसे शंकरलाल एएसआई ने मेरे साथ मारपीट की थी। मेरे कोटा आने के बाद में मेरे पिताजी श्री पदम कुमार विजय को उनके मोबाईल फोन किया और दिनांक 17.05.2024 को महिला थाने टोंक बुलाया है। श्री शंकरलाल एएसआई महिला थाने टोंक जाने पर हमसे 20 हजार रूपये की मांग करेगा। मैं मेरे वैध कार्य के लिए रिष्वत में 20 हजार रूपये नहीं देना चाहता हॅूॅ। मैं रिष्वत लेते हुए श्री शंकरलाल एएसआई को रंगे हाथें पकडवाना चाहता हॅू। शंकरलाल एएसआई से कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ना ही मेरा कोई पुराना लेनदेन है। मेरी षिकायत पर कार्यवाही करने की कृपा करे " परिवादी द्वारा पेष प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिष्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप पुलिस अधीक्षक ताराचन्द को अपने कक्ष में बुलाया, परिवादी श्री सौरभ विजय व सह परिवादी श्री पदम कुमार विजय सें आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पेश कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन्् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री सौरभ विजय व सह परिवादी श्री पदम कुमार विजय के अपने कक्ष मे आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मजीद् दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि "मेरे पास 20 हजार रूपये नहीं थे नही तो वह मौके पर ही मेरे से रिष्वत की राषि प्राप्त कर लेता। शंकरलाल एएसआई ने रिश्वत की राशि नही देने पर मेरे साथ थाने में ही मारपीट की थी। मैंने उससे निवेदन किया था कि मैं आपको रूपये जरूर दे दूंगा अभी मेरे पास नहीं है। मेरे कोटा आने के बाद शंकर लाल ने मेरे पिताजी को फोन किया और मुझे व मेरे पिताजी को दिनांक 17.05.2024 को महिला थाने टोंक बुलाया है। मुझे पूरा विष्वास है कि श्री शंकरलाल एएसआई महिला थाना टोंक जाने पर हमसे 20 हजार रूपये की मांग करेगा। इसलिए मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हॅू " परिवादी ने बताया कि शंकरलाल एएसआई का कॉल आएगा तो मैं आपको तुरन्त बता दूंगा। दिनांक 17.05.2024 को परिवादी को महिला थाना टोंक पर रिष्वत की राषि 20 हजार रूपये लेकर बुलाया गया है। उसके अनुसार ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परिवादी एवं सहपरिवादी को दिनांक 17.05.2024 को सुबह 7 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 17.05.2024 को की जाने वाली कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवष्यकता हैं अतः दिनांक 16.05.2024 समय पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री योगेन्द्र कानि. 282 को कार्यालय, अति.निदेषक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के नाम एक तहरीर पत्रांक 229 दिनांक 16.05.2024 दी जाकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया, जो कुछ समय बाद आया तथा बताया कि मैं तहरीर लेकर कार्यालय, अति.निदेषक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा गया था जंहा से 1.श्री रिफुल सिह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह जाति राव उम्र 36 साल निवासी गेंता रोड इटावा हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय 2. श्री महेन्द्रप्रताप पुत्र श्री जयपाल जाति नायक उम्र 59 निवासी ए 42 अक्षरधाम कोलोनी थेगडा रोड बोरखेडा कोटा हाल अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय अति.निदेषक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा को तहरीर पर नियुक्त किया गया है, जिनको में दिनांक 17.05.2024 को सुबह 7 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर आया हूं। दिनांक 16.05.2024 समय 06ः00 पी.एम पर परिवादी श्री सौरभ विजय व सह परिवादी श्री पदम कुमार विजय कार्यालय हाजा में उपस्थित हुए और सहपरिवादी पदम कुमार विजय ने बताया कि शंकरलाल हमसे फोन पर भी रिष्वत की मांग कर सकता है एवं दिनांक 17.05.2024 को हमें कितनी बजे महिला थाना जाना है इस सम्बन्ध में शंकरलाल से कोई वार्ता नही हो पायी हैं। मैं आपके समक्ष ही श्री षंकरलाल से वार्ता करना चाहता हूं जिस पर सह परिवादी श्री पदम कुमार विजय ने अपने मोबाईल नं.

9414286269 से आरोपी शंकरलाल के मोबाईल नं. 9660366302 पर कॉल लगा कर वार्ता की, सहपरिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर चालु कर उक्त दोनों के मध्य हुई वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। जिस पर आरोपी ने महिला थाने में उपस्थित होने का समय 10-11 बजे सुबह बताया है। सहपरिवादी द्वारा दूसरे पक्ष के नहीं आने की बात कहे जाने पर आरोपी ने कहा है कि नाथी का बाडा है क्या जो नहीं आएगा। चुंकि परिवादी व सहपरिवादी ने कथन किये हैं कि श्री शंकर लाल स.उ.नि. ने दिनांक 14.05.2024 को 20,000 रू. नही देने पर परिवादी के साथ मारपीट की हैं तथा परिवादी एवं उसके पिता के द्वारा आईन्दा रिश्वत की रकम लेकर आने का आश्वासन देने पर वापस भेजा हैं तथा जरिये मोबाईल बताया हैं कि दिनंाक 17.05.2024 थाने पर आ जाओ तथा मोबाईल पर अपरिवादी के नही आने के संबध में बात करने पर कहा हैं कि नाथी का बाडा हैं क्या जो नहीं आयेंगे। चुंकि महिला थाना टोंक कोटा सें करीबन 150 किलोमीटर हैं तथा परिवादी के प्रथम बार मिलने पर तथा उसके द्वारा रिश्वत दिये जाने में समय लगने पर आरोपी शंकर लाल पुनः पूर्व की भांति व्यवहार कर सकता हैं अतः समय का अभाव होने के कारण मय टीम के टोंक शहर में उपस्थित रहकर अग्रिम कार्यवाही किये का निर्णय लिया गया तथा परिवादी एवं सहपरिवादी को दिनांक 17.05.2024 को सुबह 7 बजे कार्यालय में मय रिष्वत राषि के उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 17.05.2024 समय 08ः00 पर परिवादी श्री सौरभ विजय ने मन उप पुलिस अधीक्षक को फोन पर बताया कि श्री शंकर लाल स.उ.नि. ने कल सुबह 10-11 बजे बुलाया हैं थाने मे जाने से पहले हमको वंहा पर अपने रिश्तेदारो से भी बात करनी पडेगी जिनको हमने एसीबी की शिकायत के बारे में नहीं बता रखा हैं अतः हम रिश्वत मे ंदी जाने वाली राशि भी साथ में ही लेकर करीब 11 बजे आपको टोंक में ही मिल जायेंगे। इस मन उप अधीक्षक पुलिस मय दो प्राइवेट वाहन कार जिनमे मन पुलिस उप अधीक्षक मय श्री देषराज पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र हैड कानि, एवं श्री बृजराज हैड कानि के स्विफ्ट डिजायर कार से तथा श्रीमती चन्द्रकंवर पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप बॉक्स एवं अनुसंधान बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर, यूपीएस आदि के श्री योगेन्द्र कानि 282, श्री अभिषेक कानि., श्री अब्दुल सत्तार व स्वतंत्र गवाह श्री रिफूल सिह, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय व श्री महेन्द्र प्रताप अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय अति.निदेषक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के कार इनोवा से टोंक के लिए रवाना टोंक कस्बे में पुलिस लाईन के पास सडक पर पहॅुचा, जहां परिवादी व सह परिवादी उपस्थित मिले। परिवादी ने बताया कि शंकरलाल मेरे से मारपीट कर चुका है इसलिए वह मुझसे रिश्वत की बात नहीं करेगा मेरे पिताजी से ही रिष्वत की मांग करेगा। इस पर ट्रेप बॉक्स से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर परिवादी एवं सह परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बन्द व चालू करने की विधी समझायी गई। सह परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी से होने वाली रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने की हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपूर्द किया जाकर परिवादी एवं सहपरिवादी को आरोपी से बात करने के लिए महिला थाना टोंक के लिए रवाना किया गया। परिवादी की निगरानी हेतु श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 को परिवादी एवं सहपरिवादी के हमराह रवाना किया गया। वर्तमान स्थान आम रोड है जिस पर लोगों की आमद रफत ज्यादा होने के कारण गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिवादी एंव सहपरिवादी व योगेन्द्र सिंह कानि 282 को बाद सत्यापन की कार्यवाही के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना टोंक के सामने आने के लिए हिदायत की व फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ते के मय वाहन रवाना होकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना टोंक के मेनगेट के सामने पहुंचा जंहा पेड के नीचे दोनो वाहनो को खडाकर अग्रिम कार्यवाही के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीबन 12.40 पी.एम0 पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना टोंक के सामने सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय मय श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 के मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया बन्द हालात में डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पेष कर बताया कि मेरी, आरोपी शंकरलाल से मेरे कार्य व रिश्वत मांग के संबंध मे वार्ता हो गई है। शंकरलाल ने रिष्वत की मांग करते हुए पहले मुझ से कहा कि 5 दे देना तो मैंने 5 से 5 हजार समझा तो आरोपी ने कहा कि 25 हजार देना है। जिस पर मैंने रिष्वत राषि कुछ कम करने के लिए निवेदन किया तो वह 20 हजार रूपये मांगने लगा। मैंने फिर कम करने के लिए निवेदन किया तो शंकरलाल एएसआई रिष्वत की रकम की मांग कम करते करते पहले तो 18,000 एवं अन्त में 15 हजार रूपये लेने पर सहमत हो गया। उसने मुझे 15,000/-रूपये लेकर अभी बुलाया है तथा मेरे पुत्र को 500 रू. के स्टाम्प पर राजीनामा लिखवाकर लाने के लिए भेज दिया है। मैं एटीएम से राषि निकाल कर लाने की बात कह कर आया हूं। मेरी एवं आरोपी के मध्य हुई सभी वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड हो गई है। इस पर सहपरिवादी से लिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंष सुने गये तो सहपरिवादी के कथनों की ताईद हुई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। चूंकि आरोपी ने अभी तुरन्त पैसे लेकर आने के लिये कहा है इस लिये समय अभाव के कारण रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट सत्यापन वार्ता पृथक से बनाई जावेगी। इसके बाद सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय का परिचय उपस्थित स्वंतत्र गवाहान् श्री रिफूल सिह, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एवं श्री महेन्द्र प्रताप अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय अति.निदेषक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा से करवाया गया तथा सहपरिवादी के पुत्र श्री सौरभ विजय के संबंध

में अवगत कराया जाकर स्वतंत्र गवाहान् से कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों ने मौखिक सहमति देकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान श्री रिफुल सिह एवं श्री महेन्द्र प्रताप के समक्ष सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय पुत्र श्री दुर्गा शंकर विजय जाति महाजन उम्र 51 साल निवासी-4 जी 2 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राषि पन्द्रह हजार रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेष किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है- क्र0स0 नोटों का प्रकार नोट के नम्बर 1. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 WV 309337 2. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 EC 668084 3. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 WV 651682 4. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 FB 055883 5. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 WV 980055 6. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 PQ 889267 7. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 LU 990324 8. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 EU 801606 9. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 SV 944897 10. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 PU 597745 11. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 NR 820016 12. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 KV 058498 13. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 AC 945078 14. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 CH 328619 15. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 NW 764788 16. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 PT 688241 17. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 BG 133827 18. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 QW 862982 19. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 EU 421235 20. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 BM 862032 21. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 NN 393306 22. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 ST 804610 23. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 PS 863655 24. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 LH 443490 25. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 SC753975 26. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 NC 248526 27. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 WV 082429 28. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 9 AA 241485 29. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 AF 439635 30. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 SR 911027 श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से प्राईवेट वाहन इनोवा के डेशबोर्ड से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को गाडी की मध्य की सीट पर एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रिफुल सिहं से लिवाई गई। सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी श्री शंकर लाल को रिश्वत में दिये जाने वाले फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये नोट रिश्वती राशि पन्द्राह हजार रूपये को सहपरिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री अब्दुल सत्तार कानि. से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी हुई पानी की बोतल से साफ पानी लेकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान्, परिवादी एवं सह परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। उक्त घोल को बाहर फिंकवाया गया, जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को एवं दृष्टांत कार्यवाही में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया जाकर हिदायत की गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करें, रास्ते में रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नहीं लगावे, आरोपी द्वारा मागें जाने पर निकाल उसे दे, रिश्वत राशि के सबंध में स्पष्ट वार्ता करे, रिश्वत राशि देने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेर मन् उप अधीक्षक पुलिस या ट्रेप पार्टी के सदस्य को ईशारा करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि. को मय फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी को देकर मौके से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.20 पी.एम पर सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282 को सहपरिवादी की प्राईवेट कार से आगे आगे रवाना कर मन उप पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाप्ते मय स्वतंत्र गवाहान के दोनों प्राईवेट वाहनों से मय ट्रेप बॉक्स, अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, यूपीएस आदि के सहपरिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर पुलिस थाना महिला थाना जिला टोंक के पास पंहुचा, जहां सहपरिवादी को मुनासिब हिदायत कर आरोपी श्री शंकर लाल को रिश्वत राशि देने सहपरिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू करवाकर आरोपी के पास पुलिस थाना महिला थाना जिला टोंक रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक मय हमराह जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के बाद सहपरिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे अपने सिर पर हाथ फेरने की प्रतीक्षा में महिला थाना टोंक के आस पास लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुआ। समय

02.22 पी.एम. पर महिला थाना, टोंक के सामने बनी चाय की दुकान पर परिवादी श्री सौरभ विजय के साथ खडे हुये सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय ने अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रिफुल सिंह व श्री महेन्द्रप्रताप, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, इन्टे कोटा, श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज ंिसह हैड कानि. 144, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, इन्टे, कोटा, परिवादी एवं सहपरिवादी के पास पहुंचे। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि ये ही शंकर लाल जी ए.एस.आई. हैं, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने वर्दी पहने हुये व्यक्ति जिसने अपने हाथ में एक मोबाईल व एक पत्रावली लिये हुये को अपने आने के मंतव्य सें अवगत कराते हुये उसको नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शंकर लाल पुत्र श्री राधकिशन जाति जाट उम्र 58 साल निवासी- पराना, थाना बरोनी, जिला टोंक हाल निवास- सरकारी क्वार्टर (ऑफीसर्स क्वार्टर) पुलिस लाईन टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महिला थाना टोंक, मोबाईल नम्बर-9660366302 बताया। परिवादी के साथ शंकर लाल को साथ लेकर महिला थाना में आया तथा पीछे से ही सहपरिवादी श्री पदम कुमार भी हमारे पास आया जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाब्ता मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो, मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं शंकर लाल स.उ.नि. के महिला थाना के भवन के पीछे वाले हिस्से में स्थित कार्यालय मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं गुमशुदा प्रकोष्ठ, टोंक (राजस्थान) के कमरे मे लेकर आये तथा श्री शंकर लाल से उसके हाथ में ली हुई पत्रावली बाबत पूछा तो उक्त पत्रावली श्री सौरभ विजय के विरूद्ध दर्ज परिवाद की होना बताया एवं मोबाईल स्वंय का होना बताया इस पर श्री शंकर लाल सें परिवाद की पत्रावली व मोबाईल को स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रप्रताप के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं सहपरिवादी से आरोपी द्वारा ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय ने बताया कि मेरे पुत्र की पत्नि अंतिमा विजय यंही टोंक की रहने वाली हैं, जिसने इस थाने में मेरे पुत्र सौरभ व हम सभी परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताडना का परिवाद दर्ज करा रखा है। जिस पर हमको इस थाने में दिनंाक 14.05.2024 को बुलाया गया था। हम यंहा पर आये तो यंहा पर मेरी पुत्रवधु अंतिमा विजय द्वारा दिये गये परिवाद की जांच कर रहे इन ए.एस.आई. साहब से मिले थे। इन्होने मुझसे मेरे पुत्र की पत्नि के परिवाद का निस्तारण करने की एवज में 20,000 रू. रिश्वत की मांग की थी उस समय हमारे पास 20,000 रू. नहीं होने पर इन्होने मेरे पुत्र के साथ मारपीट की थी तथा इसके बाद हमारे कोटा चले जाने के बाद श्री शंकर लाल ए. एस.आई. ने  मेरे मोबाईल पर फोन करके दिनंक 17.05.2024 को महिला थाने पर बुलाया, जिस पर हमने एसीबी, कोटा में शिकायत की थी तथा आपसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर आज जब मैं व मेरा पुत्र इनसे यंहा आकर मिले तो इन्होने मेरे पुत्र को तो स्टाम्प लेने बाहर भेज दिया तथा मुझसे इन्होने चाय की दुकान पर जाकर, 25,000 रू. की मांग की तथा मेरे द्वारा इनसे बार-बार निवेदन करने पर 20,000 रू. तथा बाद में 18,000 रू. देने के लिए कहा जिस पर मैने फिर से निवेदन कर 15,000 रू. के लिए कहा जिस पर ये सहमत हो गये। इसके बाद मै इनसे ए.टी.एम. से रूपये निकलवाने की कहकर आपके पास आया तथा अभी वापस आकर हमारे कार्य के संबंध में बाते करने के बाद ये हमको वापस चाय की दुकान पर लेकर गये तथा मुझसे पैसे देने के लिए इशारा किया तो मैने इनको कहा कि यंही दे दूं क्या मेरी जेब में हैं तो इन्होने कहा कि लाओ ना फिर जब मैने अपनी जेब सें निकाल इनको 15,000 रू. दिये तब इन्होने कहा कि तीन कम कर दिये तब मैने इनको कहा कि ये बहुत हैं मुझसे इन्होने रिश्वत राशि अपने हाथ से लेकर अपनी पेंट की पीछे की जेब में रख ली। इसके बाद मैने आपको इशारा कर दिया, सहपरिवादी द्वारा कहे गये कथनो के संबंध में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने श्री पदम कुमार विजय द्वारा कहे गये कथनो की ताईद की। इस पर श्री श्ंाकर लाल सें पूछा तो बताया मुझे इनका परिवाद करीबन 8-10 दिन पहले मिला था मैने इनसे कोई रिश्वत नहीं मांगी मैने दो बार काउंसलिंग करवाई थी पदम जी ने मुझे चाय पिलाने की कहकर मेरी जेब में रूपये रख दिये। सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय ने श्री श्ंाकर लाल की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूंठ बोल रहे है, मैने इनसे कोई जबरदस्ती नहीं कि इन्होने मुझसे मेरे बेटे के परिवाद का निस्तारण करने की एवज में 25,000 रू. मांगे थे जिस पर मैने इनको कम करने के लिए कहा तो अन्त में ये 15,000 रू. लेने पर सहमत हुये थे जिस पर मैने इनको कहा था कि एटीएम सें लाकर देता हूं तथा अभी मैने इनको 15,000 रू. दिये तो इन्होने कहा कि तीन कम दे रहे हो तब मैने इनको कहा था कि ये ही बहुत है। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि 15,000 रूपये अपनी पेंट की जेब में रखे होना स्वीकार किया हैं, अतः स्वतंत्र गवाह श्री रिफुल सिंह सें आरोपी शंकर लाल की पहनी हुई पेंट की जेब की तलाशी लिवाई गई तो उसकी वर्दी की पेन्ट की पीछे की जेब में पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये मिलेे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ। उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। सहपरिवादी ने कहा हैं कि आरोपी ने अपने हाथ से रिश्वती राशि लेकर अपनी पेंट की जेब में रखे हैं अतः आरोपी शंकर लाल की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, कमरे में रखी हुई पीने के पानी केम्पर से पानी लेकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी श्ंाकर लाल के दाहिने हाथ की

अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH.2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गन्दमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। काम मे लिये गये दोनों डिस्पोजल गिलासों को श्री बृजराज सिंह है. कानि. 144 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी शंकर लाल की पेन्ट की जेब से रिश्वती राशि 15,000 रूपये बरामद हुये हैं, अतः आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने सें आरोपी श्री शंकर लाल की पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उनको पहनने के लिए दूसरे कपडे दिये गये तथा उतरवाई गई वर्दी की पेन्ट की जेब की धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, कमरे में रखे हुये पीने के पानी के केम्पर से पानी लेकर एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी शंकर लाल की पेंन्ट की पीछे की जेब को उलटावाया जाकर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया। पेन्ट की जेब को सुखाकर उलटवाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क-P दिया गया। काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री बृजराज सिंह है.कानि. 144 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। सहपरिवादी से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को लेपटोप में लगाकर चालु कर वार्ता को सुना गया तो परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई है। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक सें बनाई जावेगी। तत्पश्चात आरोपी शंकर लाल से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछा तो कहा कि महिला थाना टोंक में परिवाद पार्ट-3 क्रमांक 97 दिनांक 05.03.2024 बतौर थाना इन्चार्ज मैने मेरे स्वंय के हस्ताक्षर से श्रीमती कमलेश है.कानि. 119 को दोनो पक्षो की काउसंलिंग हेतु तलब कर श्रीमान थानाधिकारी के समक्ष पेश करने हेतु आदेशित किया था, किन्तु करीबन 15 दिन से श्रीमती कमलेश है.कानि. गैर हाजिर चल रही हैं इसलिए थानाधिकारी महोदया ने उक्त परिवाद अग्रिम जांच हेतु मौखिक आदेश से मुझे संभलाया था। इस पर उक्त परिवाद मेरे द्वारा सुपुर्दगी में लेने से पूर्व परिवाद रजिस्टर में इन्द्राज करवाया था तब से मैं इस परिवाद की जांच कर रहा हूं मेरे द्वारा उक्त परिवाद में दोनो पक्षो की दो बार काउंसलिंग दिनांक 14.05.2024 एव आज दिनांक 17.05.2024 को कराई गई है इनके परिवाद सें संबंधित पत्रावली मैने आपको पेश कर दी है, इस पर स्वतंत्र गवाह महेन्द्रप्रताप के पास सुरक्षित रखी हुई परिवाद पत्रावली का अवलोकन किया जो परिवादी श्री सौरभ विजय के विरूद्ध दर्ज परिवाद से संबंधित हैं जिसमे कुल 13 पृष्ठ हैं। पत्रावली के पृष्ठ सं. 1 लगायत 3 श्रीमती अंतिमा विजय द्वारा पेश मूल परिवाद पृष्ठ सं. 4, 5 व 7 श्रीमती अंतिमा विजय के काउंसलिंग संबंधित प्रार्थना पत्र, पृष्ठ सं. 6 व 8 पुलिस थाना का काउंसलिंग नोट, पृष्ठ सं. 9 में परिवादिया द्वारा काउंसलिंग में समय चाहने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र, पृष्ठ सं. 10 कानूनी कार्यवाही नहीं चाहने बाबत अंतिमा विजय द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र जिसकी पुस्त पर कार्यवाही पुलिस आरोपी शंकरलाल द्वारा स्वंय कलमी लिखा होना बताया एवं पृष्ठ 11 लगायत 13 अंतिमा विजय एवं सौरभ विजय के मध्य 500 रू. के स्टॉम्प पर टायपशुदा आपसी सहमति से राजीनामा हैं, उक्त परिवाद पत्रावली की छायाप्रति करवाकर थानाधिकारी महिला थाना की उपलब्ध करवाई गई एवं मूल परिवाद पत्रावली के प्रथम पृष्ठ व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी के मूल निवास व सरकारी आवास की खाना तलाशी के संबंध में उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गया । उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री सौरभ विजय की पत्नि अंतिमा विजय द्वारा महिला थाना टोंक में परिवादी व परिवादी के परिवारजन के विरूद्ध दिये गये दहेज प्रताडना के परिवाद में परिवाद का निस्तारण करने की एवज में 20,000 रू. रिश्वत की मांग करने तथा गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी शंकर लाल द्वारा परिवादी के पिता सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय से 25,000 रू. की मांग कर सहपरिवादी द्वारा निवेदन करने पर पहले 20,000 तथा उसके बाद 18,000 की मांग करने तथा बाद में 15,000 रू. लेने पर सहमत होने तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान 15,000 रू. प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की जेब में रखने, रिश्वत राशि आरोपी की पेन्ट की जेब से बरामद होने, आरोपी शंकर लाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग गन्दमैला आने एव आरोपी की पेन्ट की जेब का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने सें आरोपी श्री शंकर लाल पुत्र श्री राधकिशन जाति जाट उम्र 58 साल निवासी- पराना, थाना बरोनी, जिला टोंक हाल निवास- सरकारी क्वार्टर (ऑफीसर्स क्वार्टर) पुलिस लाईन टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महिला थाना टोंक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। समय 04ः50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री रिफुल सिहं एवं श्री महेन्द्र प्रताप के समक्ष श्री शंकर लाल पुत्र श्री राधकिशन जाति जाट उम्र 58 साल निवासी- पराना, थाना बरोनी, जिला टोंक हाल निवास- सरकारी क्वार्टर (ऑफीसर्स क्वार्टर ) पुलिस लाईन टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महिला थाना टोंक को दिनांक 17.05.2024 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन उसके एवं सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय एवं परिवादी श्री सौरभ विजय के मध्य हुई वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया था। उक्त वार्ताओं से उसकी आवाज का मिलान राज्य विधि विज्ञान

प्रयोगशाला जयपुर से करवाये जाने हेतु अपनी आवाज का नमूने देने के लिये नोटिस नमूना आवाज दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपने हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हूं। नोटिस नमूना आवाज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी, सहपरिवादी की निशादेही पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रिफुल सिहं एवं श्री महेन्द्र प्रताप की मौजूदगी में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल महिला थाना टोंक के आस-पास का नजरी नक्शा मौंका कशीद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु समय 05ः15 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता श्रीमती चन्द्रकंवर पुलिस निरीक्षक श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र हैड कानि, श्री बृजराज हैड कानि एवं श्री योगेन्द्र कानि 282, श्री अभिषेक कानि, मय डिटेनशुदा आरोपी श्री शंकरलाल मय सील्डशुदा धोवन सेम्पल RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 P-1, P-2 आरोपी की वर्दी के पेन्ट का सील्डशुदा पैकिट मार्क च्, रिश्वत राशि 15,000 रूपये मय लिफाफा ट्रेप बॉक्स मय लेपटाप प्रिन्टर मय परिवाद सें संबंधित फाईल के कार्यालय मानव तस्करी यूनिट जिला टोंक से कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक के लिये प्राइवेट वाहनों से तथा परिवादी, सहपरिवादी अपने स्वंय के वाहन से रवाना होकर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक पंहुचे। समय 06.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान् परिवादी एवं सहपरिवादी के समक्ष दिनांक 16.05.2024 को सह परिवादी श्री पदम कुमार विजय के मोबाईल नं. 9414286269 से आरोपी शंकरलाल के मोबाईल नं. 9660366302 पर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड मोबाईल वार्ता को स्वतंत्र गवाहान् सहपरिवादी एवं परिवादी के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 282 से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप लगाकर स्पीकर चालुकर स्वतंत्र गवाहन एवं सहपरिवादी को सुनाया गया, जिसमें सहपरिवादी ने एक आवाज अपनी एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री शंकर लाल की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री योगेन्द्र सिंह कानि0. से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.15 पी.एम. पर श्री देशराज पुलिस निरीक्षक मय श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक एसीबी टोंक श्री अभिषेक कानि 197 एवं तलबिदा गवाह श्री भगवान दास नामा हाल सहायक विकास अधिकारी एवं श्री महेन्द्र कुमार सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद् टोंक के आरोपी के सरकारी आवास ऑफिसर्स क्वार्टर पुलिस लाईन जिला टोंक की खाना तलाशी लेने हेतु मय लेपटॉप प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन से मुनासिब हिदायद कर रवाना किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान् परिवादी एवं सहपरिवादी के समक्ष सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय, परिवादी श्री सौरभ विजय एवं आरोपी श्री शंकर लाल सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई दिनांक 17.05.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता को सहपरिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान् सहपरिवादी एवं परिवादी के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 282 द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप लिया जाकर स्पीकर चालुकर स्वतंत्र गवाहन सहपरिवादी एवं परिवादी को सुनाया गया जिसमें सहपरिवादी ने एक आवाज अपनी दूसरी आवाज परिवादी एवं तीसरी आवाज आरोपी श्री शंकर लाल की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री योगेन्द्र सिंह कानि0. से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 8.50 पी.एम. पर सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय परिवादी श्री सौरभ विजय एवं आरोपी श्री शंकर लाल सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई दिनांक 17.05.2024 को वक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता को सहपरिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान् सहपरिवादी एवं परिवादी के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 282 द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप लिया जाकर स्पीकर चालुकर स्वतंत्र गवाहन सहपरिवादी एवं परिवादी को सुनाया गया जिसमें सहपरिवादी ने एक आवाज अपनी दूसरी आवाज परिवादी एवं तीसरी आवाज आरोपी श्री शंकर लाल की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री योगेन्द्र सिंह कानि0. से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.20 पी.एम. पर श्री देशराज पुलिस निरीक्षक मय, श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक एसीबी टोंक श्री अभिषेक कानि 197 एवं स्वतंत्र गवाह श्री भगवान दास नामा हाल सहायक विकास अधिकारी एवं श्री महेन्द्र कुमार सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद् टोंक के आरोपी के सरकारी आवास ऑफिसर्स क्वार्टर पुलिस लाईन जिला टोंक की खाना तलाशी लेकर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक उपस्थित आया। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि आरोपी शंकर लाल स.उ.नि. के सरकारी आवास ऑफीसर्स क्वार्टर की खानातलाशी आरोपी के पुत्र श्री सियाराम की उपस्थिती मे ली गई, दौराने तलाशी कोई चल सम्पति बरामद नहीं हुई। समय 11.25 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहन परिवादी श्री सौरभ विजय सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय के समक्ष दिनांक 16.05.2024 को सह परिवादी श्री पदम कुमार विजय के मोबाईल नं. 9414286269 से आरोपी शंकरलाल के मोबाईल नं. 9660366302 पर हुई वार्ता दिनांक 17.05.2024 को सह परिवादी

परिवादी एवं आरोपी के हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk micro SDHC TM Card 32 GB में रिकॉर्ड किया गया थां उक्त तीनों वार्ताओं को सहपरिवादी परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री योगेन्द्र सिह कानि. नं. 282 से लेपटोप में लगाकर उसकी SanDisk Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive 32 GB के चार पेन ड्राईव में पेस्ट कर तैयार करवाये गये जिसमें सें एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये एक पेनड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही/आवाज निरंतरता जांच के लिये, एक पेनड्राईव आरोपी के लिये तैयार किये पेन ड्राईवर को कवर में रखकर एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में उपयोग लिये गये मैमोरी कार्ड Sand Disk micro SDHC TM Card 32 GB को कवर में रखकर कवर सहित ही अलग-अलग कपडे की थैलियों में सील चिट कर कपडे की थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव को अनुंसधान अधिकारी के लिए अनशील्ड कवर में रखवाया गया। फर्द डबिंग व जब्ती पेनड्राईव एवं जब्ती मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनंाक 17.05.2024 समय 11.50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री शंकर लाल, स.उि.न. महिला थाना टोंक द्वारा परिवादी श्री सौरभ विजय की पत्नि अंतिमा विजय द्वारा महिला थाना टोंक में परिवादी व परिवादी के परिवारजन के विरूद्ध दिये गये दहेज प्रताडना के परिवाद में परिवाद का निस्तारण करने की एवज में 20,000 रू. रिश्वत की मांग करने तथा गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी शंकर लाल द्वारा परिवादी के पिता सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय से 25,000 रू. की मांग कर सहपरिवादी द्वारा निवेदन करने पर पहले 20,000 तथा उसके बाद 18,000 की मांग करने तथा बाद में 15,000 रू. लेने पर सहमत होने तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान 15,000 रू. प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की जेब में रखने, रिश्वत राशि आरोपी की पेन्ट की जेब से बरामद होने, आरोपी शंकर लाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग गन्दमैला आने एव आरोपी की पेन्ट की जेब का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने सें आरोपी श्री शंकर लाल पुत्र श्री राधकिशन जाति जाट उम्र 58 साल निवासी- पराना, थाना बरोनी, जिला टोंक हाल निवास- सरकारी क्वार्टर (ऑफीसर्स क्वार्टर) पुलिस लाईन टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महिला थाना टोंक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। चूकी इस संबंध मे आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके से प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान मे विपरित प्रभाव डाल सकता है। उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारs से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पुत्र श्री सियाराम को दी गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये। आरोपी श्री शंकर लाल के पास मिले मोबाईल वीवो कम्पनी जो स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रप्रताप के सुरक्षित रखवाया गया था को आरोपी के पुत्र श्री सियाराम को सुपुर्द किया गया। दिनांक 18.05.2024 समय 12ः05 ए.एम.पर परिवादी श्री सौरभ विजय एवं सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय को मौके से रूखसत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एसीबी जाप्ता श्रीमती चन्द्रकंवर पुलिस निरीक्षक श्री देशराज पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र हैड कानि श्री बृजराज हैड कानि एवं श्री योगेन्द्र कानि 282 श्री अभिषेक कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शंकरलाल मय जब्तशुदा आर्टीकल्स सील्डशुदा धोवन सेम्पल RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 P-1, P-2 आरोपी की वर्दी के पेन्ट का सील्डशुदा पैकिट मार्क P रिश्वत राशि 15,000 रूपये मय लिफाफा सील्डशुदा पेन ड्राईव तीन पैकिट शिल्डशुदा मैमोरी कार्ड का एक पैकिट ट्रेप बॉक्स मय लेपटाप प्रिन्टर मय पत्रावली के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक से कार्यालय हाजा के लिये प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर कार्यालय हाजा पंहुचा जब्तशुदा आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिहं हैड कानि 144 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान श्री रिफूल सिह हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एवं श्री महेन्द्र प्रताप हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अति.निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा को बाद ट्रेप कार्यवाही सकुशल जायद तैनाती रवाना किया गया। एक तहरीर श्रीमान चिकित्सा अधिकारी, महाराव भीम सिंह अस्पताल के नाम जारी कर श्री योगेन्द्र सिह कानि 282 एवं श्री अभिषेक कानि 197 को आरोपी श्री शंकर लाल सहायक उप निरीक्षक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर श्री देशराज पुलिस निरीक्षक को मय एसीबी जाब्ता श्री योगेन्द्र सिह कानि 282 एवं श्री अभिषेक कानि 197 के आरोपी श्री शंकर लाल सहायक उप निरीक्षक को सुरक्षार्थ पुलिस थाना नयापुरा कोटा मे जमा करवाने हेतु तहरीर देकर पुलिस थाना नयापुरा रवाना किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सौरभ विजय की पत्नि अंतिमा विजय द्वारा महिला थाना टोंक में परिवादी व परिवादी के परिवारजन के विरूद्ध दिये गये दहेज प्रताडना के परिवाद में परिवाद का निस्तारण करने की एवज में 20,000 रू. रिश्वत की मांग करने तथा गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी शंकर लाल द्वारा परिवादी के पिता सहपरिवादी श्री पदम कुमार विजय से 25,000 रू. की मांग कर सहपरिवादी द्वारा निवेदन करने पर पहले 20,000 तथा उसके बाद 18,000 की मांग करने तथा बाद में 15,000 रू. लेने पर सहमत होने तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान 15,000 रू. प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की जेब में रखने, रिश्वत

राशि आरोपी की पेन्ट की जेब से बरामद होने, आरोपी शंकर लाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग गन्दमैला आने एव आरोपी की पेन्ट की जेब का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने सें आरोपी श्री शंकर लाल पुत्र श्री राधकिशन जाति जाट उम्र 58 साल निवासी- पराना, थाना बरोनी जिला टोंक हाल निवास- सरकारी क्वार्टर (ऑफीसर्स क्वार्टर) पुलिस लाईन टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महिला थाना टोंक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने सें गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपी श्री शंकर लाल पुत्र श्री राधकिशन जाति जाट उम्र 58 साल निवासी- पराना, थाना बरोनी, जिला टोंक हाल निवास- सरकारी क्वार्टर (ऑफीसर्स क्वार्टर) पुलिस लाईन टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक थाना महिला थाना टोंक के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। (ताराचन्द ) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे. कोटा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचन्द, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे. कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शंकर लाल पुत्र श्री राधकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस, महिला थाना टोंक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 283 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 455-58 दिनांक 18.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2 पुलिस अधीक्षक, टोंक। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें. कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** ghyan Chand Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/05/2024 20:27:17

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Vishanaram

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 12/08/1965 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**